

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 578 / 18-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

नीलम तोपनो

- विक्रेता

क्लारा भेंगरा

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
19.08.19	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक नीलम तोपनो पिता स्व० फ्रांसिस तोपनो ग्राम-कुल्डा, पोस्ट-तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने क्लारा भेंगरा पति श्री लेवनार्ड भेंगरा ग्राम-तोरपा खसुवा टोली, पोस्ट-तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>तोरपा</td><td>53</td><td>134</td><td>2904</td><td>0.10</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा का पत्रांक 654 दिनांक 26.07.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक महिला है। सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य अनुसार अनुसूचित जनजाति विशेष कर मुण्डा एवं उरांव जाति में पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी का नियम इनके स्थापित एवं मान्य रीति रिवाज के अनुसार निर्धारित होता है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। उत्तराधिकारी नियम से ये वंचित होते हैं। परिवार में विधवा एवं अविवाहित पुत्री को मात्र जीवन यापन का अधिकार होता है जबकि विवाहित पुत्री इस लाभ से भी वंचित हो जाती है। ऐसे में विक्रेता को आवेदित भूमि की बिक्री का अधिकार नहीं है।</p> <p>अतः सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	तोरपा	53	134	2904	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
तोरपा	53	134	2904	0.10								